

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 711 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 14 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।
संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ.सी./98, दिनांक-05.08.2024 एवं पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ.सी./110, दिनांक-27.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार के संदर्भित पत्रों द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-301/ओबरा/15-भू0ह0, दिनांक 08.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वांछित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज-2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 711 /अ/समदिनांक

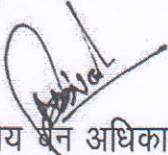
प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिश्रा)

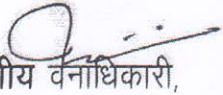
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित होने वाले वनभूमि में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा रेंज
ओबरा वन प्रभाग ओबरा


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।


प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक 301 /ओबरा/15-भू0ह0 दिनांक-08.08.2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0 /98 दिनांक-05.08.2024, पत्रांक-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024, इस कार्यालय के पत्रांक-540/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05.09.2024, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 तथा पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी /यू0पी0/06/03 /2024/एफ0सी0/98 दिनांक-05.08.2024, तथा पत्रांक-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया। जिसका बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-957/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-28.08.2015 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 तथा पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या चार प्रतियों में मय संलग्नक सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिलीप कुमार तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या-301 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिन्दुवार अनुपालन आख्या को नियमानुसार परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

(दिलीप कुमार तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

o/c

जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/98 दिनांक-05.08.2024 तथा पत्र संख्या-08बी/यू0पी0/06/03/2024/एफ0सी0/110 दिनांक-27.08.2024 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति का बिन्दुवार अनुपालन आख्या:-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-08बी /यू०पी०/०६ /०३/२०२४ /एफ०सी०/९८ दिनांक- ०५.०८.२०२४ तथा पत्र संख्या-०८बी/यू०पी०/०६/०३/२०२४ /एफ०सी०/११० दिनांक -२७.०८.२०२४ में लगायी गयी शर्त				अनुपालन आख्या
1	2				3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.				इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4.00ha. Non Forest Land (NFL) suitable for plantation out of 15.567 ha. Non Forest Land (NFL) provided for CA & 23.134 ha. Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-				इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्मे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2 से 2/1 तक)
	S. No.	Details of CA	CA Prposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha)	Name of the forest division
	1	5380 Kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha (NFL)	Out of 15.567ha. Non Forest Land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00ha NFL as per CA scheme	Obra Forest Division
	2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha (NFL)		
	3	5384 Village Jugail	0.5411 ha (NFL)		
	4	5385 Kha Village Jugail	1.3218 ha (NFL)		
	5	5382 Kha Mi Village Jugail	10.9227 ha (NFL)		
	6	Compartment No 7, Jugail Range	13.134ha (DFL)	23.134ha	
	7	Compartment No 8, Jugail Range	10.00 ha (DFL)		
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.				इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर०सी०सी० खम्मे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु० 89,12,721.00 सम्मिलित है।

		भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	Forest land will be handed over only after required non-forest land (15.567 ha.) for the project is handed over by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 15.567 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है। प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा उद्धरण खतीनीयों की प्रति संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3 से 3/9 तक)
5	The non-forest land of 15.567ha. provided for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non- forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 15.567 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-13/81-2-2025-29(13)-2025 दिनांक-21.07.2025 द्वारा उक्त गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 29 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-4 से 4/2 तक)
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.567 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06.01.2022 in this regards.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन०पी०वी० की वांछित कुल धनराशि मु० 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें एन०पी०वी० की कुल धनराशि मु० 1,49,09,762.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-5)
8	User agency shall restrict the felling of trees to 34 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभावित कुल 34 वृक्षों के छपान/गणना हेतु वांछित धनराशि मु० 782.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा सोनभद्र के नाम भुगतान किया गया है (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6) एवं उल्लिखित वृक्षों के पातन हेतु वांछित आंशिक धनराशि मु० 163450.00 का भुगतान Managing Director UP Forest Corporation को किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6/1) प्रस्तावक विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम रेनुकूट द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग करने पर भुगतान करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6/2)
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-813/67135 दिनांक-28.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र०

	Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	शासन के पत्र संख्या 121/डी 2 2024 (अ/अ) (283)/2023 दिनांक 24.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का पालन किया जाना अनिवार्य पाया गया। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7) अतः transplanting of trees लागू नहीं है।
10	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन0पी0की0 की वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सोलर पम्प हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 2100000.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
11	Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वन भूमि की घेराबन्दी हेतु आर0सी0पी0 खम्भे एवं काटेदार तार हेतु वांछित धनराशि का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
12	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा जिलाधिकारी सोनमढ द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-8)
13	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा ववनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-9)
14	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन0पी0की0 की वांछित कुल धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 24,45,961.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
15	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा ववनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-10)
16	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक सम्पर्क मार्ग वन्य जीव क्षेत्र/ Protected Area में नहीं है। अतः अण्डर/ओवर

		पास की आवश्यकता नहीं है।
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-11)
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-12)
19	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-13)
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas,	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-14)
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-15)
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-16)
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-17)
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-18)
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-19)
26	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E- Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से e-green watch portal ओपन नहीं हो रहा है, जिस कारण हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल अपलोड किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ओपन होते ही हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल e-

		green watch portal पर अपलोड कर दिया जायेगा।
27	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-20)
28	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-21)
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-22)
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से जनरेट ई-चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है।
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1345/यू0पी0 67145 दिनांक-21.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त, अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

पत्रांक : 813/67135

दिनांक : 28.07.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
जनपद - सोनभद्र।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत घोषित महलपुर रोड से परसोई बाया खेवन्धा चकरी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग (चै० 0.000 से 20.600 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 15.5070 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर यानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू०पी०/०८/०३/२०२४/एफ०सी०/११० दिनांक 27.08.2024
- (2) आपका पत्रांक- 540/ओबरा/१५ भू०ह० दिनांक, 05.09.2024
- (3) इस कार्यालय के पत्रांक-1345/यू०पी० 67145 दिनांक-21.12.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन के कार्यालय के पत्र संख्या-121/81-2-2024-800(283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य होना पाया गया। छायाप्रति संलग्न है। अतः transplanting of trees लागू नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशासी अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या-121/81-2-2024-800 (283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के सम्वन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक-1796/ओबरा/15 दिनांक-29.01.2024 के कम में दिनांक-01.02.2024 को जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0 वार्ड0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चौपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग के मौके का पुनः निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित कुल 34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।

दिनांक 21/1/2024
(दिनेश कुमार यादव)
बीट/सेक्शन प्रभारी,
ओबरा रेंज।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा रेंज।

(मयंक पाण्डेय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।

(विनोद कुमार)
अवर अभियन्ता,

(चन्द्रकुमार)
सहायक अभियन्ता,

(अधिराजी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनभद्र।

पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनभद्र।

पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0 विभाग, सोनभद्र।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र ।

पत्रांक :
सेवा में,

1345 / 467145

दिनांक : 21.12.2024

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
जनपद - सोनभद्र ।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्हा चकाशी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग (चै० ०.००० से २०.६०० तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित १५.५६७० हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ३४ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (१) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - ८बी/यू०पी०/०६/०३/२०२४/एफ०सी०/११० दिनांक २७.०८.२०२४
- (२) आपका पत्रांक- ५४०/ओबरा/१५ भू०६० दिनांक, ०५.०९.२०२४

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (१) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित ०५-०५ प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS																														
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-1)।																														
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4.00 ha. Non Forest Land (NFL) suitable for plantation out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) provided for CA & 23.134 ha. Degraded Forest Land (DFL) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows :- <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Details of CA</th><th>CA Proposed in Area (Ha)</th><th>Total Area (in Ha.)</th><th>Name of Forest Division</th></tr><tr><td>1</td><td>5380kha Mi, Village Jugail</td><td>2.4353 ha. (NFL)</td><td rowspan="5">Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.</td><td rowspan="5">Obra Forest Division.</td></tr><tr><td>2</td><td>5381 Mi, Village Jugail</td><td>0.3461 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>3</td><td>5384, Village Jugail</td><td>0.5411 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>4</td><td>5385 Kha, Village Jugail</td><td>1.3218 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>5</td><td>5382 Ka Mi, Village Jugail</td><td>10.9227 ha. (NFL)</td></tr><tr><td>6</td><td>Compartment No. 7. Jugail Range</td><td>13.134 ha. (DFL)</td><td rowspan="2">23.134 Ha.</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>7</td><td>Compartment No. 8. Dalla Range</td><td>10.00 ha. (DFL)</td></tr></table>	Sr. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha.)	Name of Forest Division	1	5380kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.	Obra Forest Division.	2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)	3	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)	4	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)	5	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)	6	Compartment No. 7. Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	23.134 Ha.		7	Compartment No. 8. Dalla Range	10.00 ha. (DFL)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर0सी0सी0 खम्मे एवं कांटेदार तार हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
Sr. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Total Area (in Ha.)	Name of Forest Division																												
1	5380kha Mi, Village Jugail	2.4353 ha. (NFL)	Out of 15.5670 Ha. Non forest land (NFL) CA plantation shall be carried out on 4.00 Ha. NFL as per CA scheme.	Obra Forest Division.																												
2	5381 Mi, Village Jugail	0.3461 ha. (NFL)																														
3	5384, Village Jugail	0.5411 ha. (NFL)																														
4	5385 Kha, Village Jugail	1.3218 ha. (NFL)																														
5	5382 Ka Mi, Village Jugail	10.9227 ha. (NFL)																														
6	Compartment No. 7. Jugail Range	13.134 ha. (DFL)	23.134 Ha.																													
7	Compartment No. 8. Dalla Range	10.00 ha. (DFL)																														
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण एवं घेराबन्दी हेतु आर0सी0सी0 खम्मे एवं कांटेदार तार हेतु कुल वांछित धनराशि मु0 89,12,721.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)																														
4	Forest land will be handed over only after required non-forest land (15.567 ha.) for the project is handed over by the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।																														

5	The non-forest land of 15.5670 Ha. Provided for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतोनी की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.567 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06.01.2022 in this regards.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें एन0पी0वी0 की कुल धनराशि मु0 1,49,09,762.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 34 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन अवगत कराना है कि प्रभावित कुल 34 वृक्षों के छपान/गणना हेतु वांछित धनराशि मु0 782.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा सोनभद्र के नाम भुगतान किया गया है (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5) एवं उल्लिखित वृक्षों के पातन हेतु वांछित आंशिक धनराशि मु0 163450.00 का भुगतान Managing Director UP Forest Corporation को किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5/1) उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग करने पर भुगतान करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5/2)
9	The user agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.	—
10	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण, सोलर पम्प स्थापना एवं एन0पी0वी0 की कुल वांछित धनराशि मु0 2,83,68,444.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें सोलर पम्प हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 2100000.00 रुपये सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
11	Non Forest Land (NFL) provided for CA shall be adequately fenced for complete protection.	इस बिन्दु के अनुपालन में घेराबन्दी हेतु आर0सी0सी0 खम्भे एवं कांटेदार तार हेतु ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। भुगतान रसीद की छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
12	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of Final Approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector,	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
13	No violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO shall be provided	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।

4	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	इस बिन्दु के अनुपालन में पौधरोपण हेतु वांछित धनराशि ₹0 2445961.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। भुगतान रसीद की छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
15	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
16	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक सम्पर्क मार्ग वन्य जीव क्षेत्र/ Protected Area में नहीं है। अतः अण्डर/ओवर पास की आवश्यकता नहीं है।
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
19	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-17)।
26	The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E- Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-18)।
27	Any order of temporary Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement work as per clause 11.1 of Van (Sanrakshan Evam Sanivardhan) Adhiniyam, Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-19)।
28	The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)।

	guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-21)।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परियेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है।
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	इस बिन्दु के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित है। अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त, अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर परियेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशायी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनभद्र।

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 वाराणसी।

अधिशायी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशायी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

SBIN12436366014 dt. 21-11-2024

SBIN12436366014

संभव (2)

23 PM

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-11-2024

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61117639426
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/03/2024/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonbhadra
Amount(in Rs)	28368444/-

Amount in Words : Two Crore Eighty-Three Lakh Sixty-Eight Thousand Four Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061117639426 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-11-2024

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61117639426
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/03/2024/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonbhadra
Amount(in Rs)	28368444/-

Amount in Words : Two Crore Eighty-Three Lakh Sixty-Eight Thousand Four Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061117639426 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

ई० प्रशान्त यादव
अधिसासी अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

संलग्नक (2/2)

Counter foil



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch

Date

Received ₹ 20360444/-

From EE PM 457 DIV. PWD

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only

NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No. 702049 dt. 20.11.24

favouring UTTAR PRADESH

.. C. C. M. P. S. ..

A/c No. 1509061117639426

IFSC Code UBIN0996335

Beneficiary Bank & Branch Union Bank

of India

Amount ₹ 20360444/-

Bank's Charges ₹ NIL

Total ₹ 20360444/-

(Rupees Two Lakhs and Four Thousand Four Hundred and Four)

For office Use, (Signature)

UTR No. 001701

Branch Manager

(Signature)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय धनोधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 220607202412233

ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम (परगना) : जोगईस (अमोरी) तहसील : ओबरा जनपद : सोनभद्र फरारी वर्ग : 1435-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03200

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अपना पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अपना आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
5380ख	1) पहाड़ / 2) वन विभाग ओबरा वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु	1) अन्य /648 /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण		5380ख/2206075380200164)	8.1820	1) 1.1 2) -	1) 5.7467 2) 2.4353	0.00
कुल गाटा - एक		कुल क्षेत्रफल - आठ दशमलव एक आठ दो भूमि (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - पूना दशमलव भूमि भूमि रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - आठ दशमलव एक आठ दो भूमि (हेक्टेयर)				
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अपना आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अपना पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-बंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अपना पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		
1) अन्य /648 /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण /Sruendra Nath Mishra /21-12-2024	1.1) पहाड़ / (पौष क्षेत्रफल : 5.7467)	5380ख/2206075380200164)	1.1) 2.4353	1.1) वन विभाग ओबरा वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु	5380ख/2206075380200164)	1.1) 2.4353		
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :								
(18) बंधक बंधक-मुक्त होने की स्थिति								
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संख्या अपना बैंक का नाम कोड बंधक का नाम कोड बंधक का दिनांक/पनगति/आवेदन संख्या खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :								
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अपना बैंक का नाम कोड बंधक का नाम कोड बंधक का दिनांक/पनगति/आवेदन संख्या खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :								
(19) अभ्युक्ति :								

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिसासी अभियन्ता
पी० एन० जी० एस० याई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (3)



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 220607202412123

ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम (परगना) : जोगईल(अगोरी) तहसील : ओबरा जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03200

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

खातेदार का विवरण			खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण			खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पै नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व			
5381	1) पहाड़// 2) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु	1) अन्य /648 डी०एल०आर०सी० /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण		5381(2206075381000064)	0.9920	1) 1/1 2) -	1) 0.6459 2) 0.3461	0.00			
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ नौ दो शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव नौ नौ दो शून्य (हेक्टेयर)											
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण			खारिज किया गया			दर्ज किया गया					
(10)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पै नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पै नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)				
	1) अन्य /648 डी०एल०आर०सी० /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण /Surendra Nath Mishra /12-12-2024	1.1) पहाड़// (खोप क्षेत्रफल : 0.6459)	5381(2206075381000064)	1.1) 0.3461	1.1) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु	5381(2206075381000064)	1.1) 0.3461				
(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/गाटों की कम्प्यूटीकृत संख्या :											

प्रतिहस्ताक्षरित

इ० प्रशान्त

अधिकांसी अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०

खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

4

खतौनी - 3/2

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) प्रपत्र नौ के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माधिका संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बेदखल न किया जाय। 80अ० 22-10-13
- 2) शासनादेश सं० 258(1) 16-73-सी-1 दिनांक 16-06-1981 का आदेश परीक्षार करते हुए उ०प्र० सं० 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० सं० 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एफ-1-2016-20(5)2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए में चन्द्र विजय सिंह खिलारिकारी सोनभद्र अनुसूची के सप्ताह 6 में उत्प्लिखित भूमि ग्राम जोगईल परगना अंगोरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 रकबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० श्रेणी -6-4 पहाड़ जो अब ग्राम पंचायत के प्रबंधन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार से लेता हूँ पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गविसभा में सन्निहित हो जायेगी। ह०००का० 17-01-2023

Data Digitally Signed by: Surendra Nath Mishra (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 12-12-2024 05:40:39 तहसील : ओबरा

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SURENDRA NATH MISHRA तहसील : ओबरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-12-2024 05:40:39

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in/Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।



प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय-व्यवधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 220607202412124

ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम (परान्त) : जोगईल(अगोरी) तहसील : ओबरा जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03200

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अंकित हो ।

खातेदार का विवरण			खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण			खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व			
5382क	1) पहाड़// 2) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु/	1) अन्य /648 डी०एल०आर०सी० /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण		5382क(2206075382200364)	12 1400	1) 1/1 2) -	1) 1.2173 2) 10.9227	0.00			
कुल गाटे - एक			कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये			कुल अंश का क्षेत्रफल - एक दो दशमलव एक चार शून्य शून्य (हेक्टेयर)					
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण			खातिज किया गया			दर्ज किया गया					
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)					
1) अन्य /648 डी०एल०आर०सी० /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण /Surendra Nuth Mishra /12-12-2024	1.1) पहाड़// (शेष क्षेत्रफल : 1.2173)	5382क(2206075382200364)	1.1) 10.9227	1.1) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु/	5382क(2206075382200364)	1.1) 10.9227					

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बन्धक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक)

(19) अभ्युक्ति :

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

जोबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव

अभिशासी अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०

खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) (पट्टा नं० के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के याचिका संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी को विवादित भूमि से उसे बेदखल न किया जाए। 8080 22-10-13
- 2) शासनादेश सं० 258(1) 16-73-ख-1 दिनांक 16-06-1981 का आदेश परीक्षार करते हुए उ०प्र० संसिद्धा 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० संसिद्धा नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एफ -1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जोगईल परगना अंगोरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 खसबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० श्रेणी -6-4 पराड जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ पुनर्निहित भूमि का उपभोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पुनर्निहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गविसभा में संनिहित हो जायेगी। ह०००का० 17-01-2023

Data Digitally Signed by: Surendra Nath Mishra (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 12-12-2024 05:41:47 तहसील : ओबरा

- यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा पैरार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुखित कर्ता : SURENDRA NATH MISHRA तहसील : ओबरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-12-2024 05:41:47

- Not Applicable For Online Print
- उपर्युक्त उद्घरण खतौनी का डिजीटल सिस्टम // upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

**प्रतिहस्ताक्षरित****प्रभागीय-वनाधिकारी****ओबरा वन प्रभाग****ओबरा-सोनभद्र****ई० प्रशान्त यादव****अधिकासी अभियन्ता****पी० एम० जी० एस० वाई०****खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र**



उद्घरण खतौनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 220607202412125

ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम (परगना) : जोगईल(अगोरी)

तहसील : ओबरा जनपद : सोनभद्र

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03200

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

खातेदार का विवरण

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
		(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)
5384	1) पहाड़//	1) अन्य /648डी0एल0आर0सी /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण		5384/2206075384000064)	0.9920	1) 1/1	1) 0.4509
	2) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु/					2) -	2) 0.5411
							0.9920

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया	
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड
1) अन्य /648डी0एल0आर0सी /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण /S Surendra Nath Mishra /12-12-2024	1.1) पहाड़// (शेष क्षेत्रफल : 0.4509)	5384/2206075384000064)	1.1) 0.5411	1.1) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु/	5384/2206075384000064)
					1.1) 0.5411

(17) भूमि के सक्क में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक)

(19) अभ्युक्ति :

ई० प्रशान्त यादव

अधिशाली अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०

खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित/अधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) (प्रपत्र नं० के अनुसार 7000ख के सम्बन्ध में) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के याचिका संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बैदख न किया जाय। ह०अ० 22-10-13
- 2) शासनदेश सं० 258(1) 16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आदेश परिष्कार करते हुए उ०प्र० रा० संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० रा० संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एफ-1-2016-20(S)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के सतम 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जोगईल परगना ओगरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 रकबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० भूजी -6-4 पहाड जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्निहित भूमि का उपयोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पुनर्निहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गविसभा में सन्निहित हो जायेगी। ह०र०का० 17-01-2023

Data Digitally Signed by: Surendra Nath Mishra (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 12-12-2024 05:42:20 तहसील: ओबरा

● यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

प्रति कर्ता: SURENDRA NATH MISHRA तहसील: ओबरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-12-2024 05:42:20

● Not Applicable For Online Prints ● उपरोक्त उद्घरण खतीनी का डिजिटल सिस्टम <https://upbhulekh.gov.in/Website> पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।



प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय-व्यवधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 220607202412126

ग्राम क्रमांक : 220607 ग्राम का नाम (परगना) : जोगईल(अगोसी) तहसील : ओबरा जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 03200

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

खातेदार का विवरण			खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण			खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम /जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू राजस्व			
5385ख	1) पहाड़// 2) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु/	1) अन्य /648डी0एल0आर0सी /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण			5385ख(2206075385200264)	1) 1/1 2) -	1) 0.1322 2) 1.3218	0.00			
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव चार पाँच चार शून्य (हेक्टेयर)			कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये			कुल अंश का क्षेत्रफल - एक दशमलव चार पाँच चार शून्य (हेक्टेयर)					
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण			खारिज किया गया			दर्ज किया गया					
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)					
1) अन्य /648डी0एल0आर0सी /09-12-2024 /पुनर्ग्रहण /Surendra Nath Mishra /12-12-2024	1.1) पहाड़// (शेष क्षेत्रफल : 0.1322)	5385ख(2206075385200264)	1.1 1.3218	1) वन विभाग ओबरा/वन प्रभाग ओबरा को क्षतिपुरक वनीकरण हेतु/	5385ख(2206075385200264)	1) 1.3218					

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):
(19) अभ्युक्ति :

इ० प्रशान्त यादव
अधिकांसी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लौ० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
समाप्ति पत्र
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) (प्रपत्र नं० के अनुसार 7000 रु के सम्बन्ध में) ग्रामनीय उच्च न्यायालय हलाहाबाद के याचिका संख्या 28226/1995 दि० 12-10-1995 रामेश्वर आदि बनाम राज्य सरकार द्वारा आदेश हुआ कि निर्धारित समय की समाप्ति तक इस बीच अगर वादी का कब्जा है तो वादी का विवादित भूमि से उसे बैरख न किया जाए। 80/360 22-10-13
- 2) शासनादेश सं० 258(1) 16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आदेश परिलक्षित करते हुए उ०प्र०रा०संहिता 2006 (उ०प्र०रा०संहिता 2006) के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके पूर्व शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एफ-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिधित्व अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र विजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के खण्ड 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जोगाईल परगना अंगरी तहसील ओबरा सोनभद्र के गाटा सं० 6749 रकबा 28.3280 हे० में से रकबा 15.567 हे० भूमी -6-4 पहाड़ जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में देता हूँ पुनर्निर्धारित भूमि का उपयोग स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु किया जाएगा यदि किसी कारणवश पुनर्निर्धारित भूमि का उपयोग इस निर्धारित तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गाँवसभा में सन्निहित हो जायेगी। ह०र०का० 17-01-2023

Data Digitally Signed by: Surendra Nath Mishra (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 12-12-2024 05:42:46 तहसील : ओबरा

0 यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा हस्ताक्षर की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

संलग्न कर्ता: SURENDRA NATH MISHRA तहसील : ओबरा

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-12-2024 05:42:46

0 Not Applicable For Online Prints 0 उपरोक्त उद्घरण खतीनी का हेतुनिष्ठ प्रपत्र <https://upbhulekh.gov.in/Website> पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।



प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमानीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

इ० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

खतीनांक-3/9



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025

आषाढ़ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 13/81-2-2025-29(13)-2025

लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-118

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सोनभद्र	ओबरा	अगोरी	जोगईल	5380ख मि 5381मि 5382क मि 5384 5385ख	2.4353 0.3461 10.9227 0.5411 1.3218	उत्तर- गाटा संख्या-5380, 5381, 5382, 5384, 5385 का शेष भाग। दक्षिण- गाटा संख्या-5852, 5834,

छायाप्रति प्रमाणित

प्रकाशीय वनीधिकारी
ओबरा वन प्रभाग

1	2	3	4	5	6	7
						5829, 5826, 5827, 5825, 5886, 5386, 5821 और गाटा संख्या-5382 का शेष भाग। पूरब- गाटा संख्या-5382, 5381 और 5385 का शेष भाग और गाटा संख्या-5827, 5386, 5387, 5388, 5389 पश्चिम- गाटा संख्या-5380, 5381, 5382, 5384 का शेष भाग और गाटा संख्या-5826, 5821
				योग	15.567	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/LXXXI-2-2025-29(13)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 13/LXXXI-2-2025-29(13)-2025

Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the Gazette and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

संयोजित
प्रभागीय वनाधिकारी
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Sonebhadra	Obra	Agori	Jogel	5380 Kh mi 5381 mi 5382 K mi 5384 5385 Kha	2.4353 0.3461 10.9227 0.5411 1.3218	North-Remaining part of Gata No. 5380, 5381, 5382, 5384, 5385. South-Gata No. 5852, 5834, 5829, 5826, 5827, 5825, 5886, 5821 and Remaining part of Gata No. 5382. East-Remaining part of Gata No. 5382, 5381 and 5385 and Gata No. 5827, 5386, 5387, 5388, 5389. West- Remaining part of Gata No. 5380, 5381, 5382, 5384 and Gata No. 5826, 5821.
				Total	15.567	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

अध्यापति प्रमाणित

प्रमाणित वना.
अध्यापक वन प्रभाग
अध्यापक वन प्रभाग

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से २०.६०० तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ौत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशायी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

रुपय

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Drawing Branch ROBERTSGANJ
इ.क्र. / CODE No. 00170
पिन - 7839883509

मांगझाफ्ट
DEMAND DRAFT

Key NEGKAN
Sr No. 601406

2 1 1 1 1 2 0 2 4
D D M M Y Y Y Y

मांगे जानेपर PRABHAGIYA VANADHIKARI OBRA VA N PRABHAG OBRA SONBHADRA*****
ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES Seven Hundred and Eighty Two Only

या 3-महीने आदेशापर
OR ORDER

अदा करे
₹ 782.00

01 000551270786
Name of Applicant

Key: NEGKAN Sr. No. 601406
UP GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

अदाकरी / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

अदाकरी शाखा / DRAWEE BRANCH OBRA
कोड नं. 01241
VALID IFOR 3 MONTHS ONLY

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

प्रामाणिक हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

Tapan Kumar

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

॥ 270786 ॥ 0000020000 000551 ॥ 16

ई० प्रशान्त यादव
अधिकांसी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड-लौ० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

रुपय-6

सेल्युलर - (61)



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

Branch Rohantganj

Date 20.11.2024

Received ₹ 163450.00

From EC PMHS & DIV.

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only

NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

Cheque No. 782851

favoring M.D. VP Forest

compensation

A/c No. 29690200015824

IFSC Code BARBOINDIRA

Beneficiary Bank & Branch Bank of

Baroda, munhi Pulia, Lko

Amount ₹ 163450.00

Bank's Charges NIL

Total 163450.00

(Rupees one lac sixty three

thousand four hundred fifty

only

For office Use,

UTR No. Branch Manager

SBIN124326361716

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित कर्माधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं ढुलान आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0 वन निगम, रेनुकूट द्वारा मांग करने एवं उसे जमा करने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० ति० बि० सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित करनेवाला अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या-121/81-2-2024-800 (283)/2023 दिनांक-24.01.2024 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के सम्वन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक-1796/ओबरा/15 दिनांक-29.01.2024 के कम में दिनांक-01.02.2024 को जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0 वार्ड0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकरी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग मार्ग के मौके का पुनः निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में प्रभावित कुल 34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।

दिनेश कुमार (21/5/24)
(दिनेश कुमार यादव)
बीट/सेक्शन प्रभारी,
ओबरा रेंज।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा रेंज।

(मयंक पाण्डेय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा।

(विनोद कुमार)
अवर अभियन्ता,

(जयदेव कुमार)
सहायक अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनभद्र।

पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0विभाग, सोनभद्र।

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वार्ड0, खण्ड,
लो0नि0 विभाग, सोनभद्र।

प्रतिरस्ताकारित

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

21.12.2024 = 18

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonbhadra (U.P.)

No.: 1330/UP67145

Dated: 19.12.2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 15.5670 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonbhadra for diversion of Package No. UP67145 of Road "Chopan Mahalpur road to parsoi via khevandha chakari obra dam road" in Sonbhadra district falls within jurisdiction in Obra Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the „Forest Land" proposed to be diverted is a plantation which was notified as „Forest" less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.

ई० प्रशान्त यादव
अधिशायी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

DISTRICT COLLECTOR
SONEBHADRA

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से २०.६०० तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित होने वाले वनभूमि में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम १९८० का उल्लंघन नहीं किया गया है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई बाया खेवन्धा चकरी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग चैनेज नं०-०००० से २०६०० तक तहसील-ओबरा जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से २०.६०० तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ में अधिरोपित आवश्यक पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणीय धनोधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्ति यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणीय वनोधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से २०.६०० तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्ताव में निर्माण कार्य के प्रयोग हेतु वैकल्पिक ईंधन श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित मार्ग में हस्तान्तरित वनभूमि को प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के निर्देशन में स्वयं के व्यय पर उपयुक्त रूप से सीमांकित कराये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड, लो० नि० वि० सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन (जो भी कम हो), के साथ Co-Terminus हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को प्रेषित करते हुए परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई0 प्रशान्त यादव
अधिशायी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
खण्ड लो0 नि0 वि0 सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित करने वाला
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 20.600 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रणालीय वनोधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र